



DELHI STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY

is organising



1st National Lok Adalat on **Second Saturday, 11th February, 2023**



for amicable settlement of all types of Civil and Criminal Compoundable Cases

From 10:00 AM to 4:00 PM

at High Court of Delhi, all District Courts, Debt Recovery Tribunals,
Delhi State Consumer Disputes Redressal Commission and
District Consumer Disputes Redressal Commission, Delhi

- Litigants & Lawyers are advised to visit the designated Court Complex & Court room to avoid inconvenience. Parties may move an application for referral of their cases before Concerned Court where their cases are pending.
- In case of pre-litigation, parties may move application before this Authority either by email, or otherwise by 4th February, 2023.

FOLLOWING CATEGORIES OF CASES WILL BE TAKEN UP IN LOK ADALAT:-

- | | |
|---|--|
| (i) Criminal Compoundable Offences; | (vii) Matrimonial disputes (except divorce); |
| (ii) Cheque dishonour cases under Section 138 NI Act; | (viii) Land Acquisition cases; |
| (iii) Money Recovery cases; | (ix) Services matters relating to pay and allowances and retiral benefits; |
| (iv) Motor Accident Claims cases (MACT); | (x) Revenue cases (pending in District Courts and High Courts only); |
| (v) Labour dispute cases; | (xi) Other Civil cases; |
| (vi) Electricity and Water Bills cases; | (xii) Compoundable Traffic Challans |

FOR TRAFFIC CHALLANS:-

- Compoundable Challans pending till 31.10.2022 in **Virtual Traffic Courts** will be taken up in this Lok Adalat.
- Challan slips can be downloaded by litigants directly through the link <https://traffic.delhipolice.gov.in/notice/lokadalat> or <https://delhitrafficpolice.nic.in/notice/lokadalat> only. Litigants or their Advocates will have to visit the particular Court Complex (as per their choice) on the day of Lok Adalat and produce the **printout of challan slip** before the concerned Lok Adalat Judge for disposal of their challans.
- Aforementioned Links to download traffic challans for National Lok Adalat will be made available to public at Delhi Traffic Police website and DSLSA website from **08th February, 2023 at 10 a.m.** The link will remain active only till the time pre-decided number of challans are downloaded.
- **Court Complex, Court Number and timing of Lok Adalat** where the challan can be got disposed of will be mentioned on the Challan Slip.
- **Next National Lok Adalats will be organized on 13.05.2023, 09.09.2023 & 09.12.2023.**

Sushant Changotra

Officiating Member Secretary

Delhi State Legal Services Authority, Rouse Avenue Courts

Settlement of disputes through Lok Adalat ensures speedy disposal, amicable settlement and refund of Court Fee paid. Award passed in Lok Adalat shall be final and binding on all the parties to the dispute and no appeal shall lie to any Court against the Award.

(DSLSA doesn't make calls for Lok Adalat, Beware of FRAUD CALLERS impersonating as Lok Adalat/DSLSA employee)

For any query, please contact at:-

DELHI STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY

Central Office, 3rd Floor, Rouse Avenue District Courts Complex, New Delhi-110002

Ph: 23232124 | E-mail:- lokadalatwing-dslsa@nic.in | Website:- www.dslsa.org

Toll Free Helpline No. 1516 (24x7)



दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण

द्वारा आयोजित



नेशनल लोक अदालत

द्वितीय शनिवार, 11 फरवरी, 2023



सभी प्रकार के सिविल और क्रिमिनल कम्पाउंडेबल मामलों के आपसी सुलह से निपटारे हेतु सुबह 10.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक दिल्ली उच्च न्यायालय, सभी जिला न्यायालयों, ऋण वसूली न्यायाधिकरण (DRT), दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग और जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, दिल्ली आएँ

- वादी या प्रतिवादी अपने मामलों को लोक अदालत में लगवाने हेतु संबंधित न्यायालय के समक्ष आवेदन दे सकते हैं जहां उनके मामले लंबित हैं।
- अभी तक जो मामले न्यायालय में दाखिल नहीं हुए हैं उनके लिए दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण के कार्यालय या ई-मेल पर आवेदन 4 फरवरी, 2023 तक दे सकते हैं।

लोक अदालत में निम्नलिखित श्रेणियों के मामले लिए जाएंगे :-

- | | |
|--|--|
| (i) आपराधिक कम्पाउंडेबल मामले; | (vii) वैवाहिक विवाद (तलाक को छोड़कर); |
| (ii) धारा 138 एन.आई. अधिनियम के तहत बैंक बाउंस के मामले; | (viii) भूमि अधिग्रहण के मामले; |
| (iii) धन वसूली के मामले; | (ix) वेतन और भत्तों और सेवानिवृत्ति लाभों से संबंधित सेवा मामले; |
| (iv) मोटर दुर्घटना दावा मामले (एमएसीटी); | (x) राजस्व मामले (जोकि केवल जिला न्यायालयों और उच्च न्यायालयों में लंबित); |
| (v) श्रम विवाद के मामले; | (xi) अन्य दीवानी मामले; |
| (vi) बिजली और पानी के बिल के मामले; | (xii) कम्पाउंडेबल ट्रैफिक चालान |

ट्रैफिक चालान के लिए :-

- वर्चुअल ट्रैफिक कोर्ट में 31.10.2022 तक लंबित कम्पाउंडेबल चालान/नोटिस इस लोक अदालत में लिए जाएंगे।
- वादियों द्वारा चालान पर्चियां सीधे <https://traffic.delhipolice.gov.in/notice/lokadalat> और <https://dehitrafficpolice.nic.in/notice/lokadalat> लिंक के माध्यम से ही डाउनलोड की जा सकती है। वादियों या उनके अधिवक्ताओं को लोक अदालत के दिन विशेष न्यायालय परिसर (उनके चयन के अनुसार) जाना होगा और अपने चालान के निपटारे के लिए संबंधित लोक अदालत न्यायाधीश के समक्ष चालान पर्ची का प्रिंटआउट प्रस्तुत करना होगा।
- नेशनल लोक अदालत के लिए ट्रैफिक चालान डाउनलोड करने के लिए उपरोक्त लिंक 08 फरवरी, 2023 को सुबह 10 बजे से निर्धारित संख्या के चालान डाउनलोड होने तक दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट और डीएसएलएसए की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा।
- चालान पर्चियों पर न्यायालय परिसर, न्यायालय संख्या और लोक अदालत के समय का उल्लेख होगा।
- आगामी राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन दिनांक 13.05.2023, 09.09.2023 और 09.12.2023 को किया जाएगा।

सुशांत चंगोत्रा

कार्यवाहक सदस्य सचिव

दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण, राउज एवेन्यू कोर्ट

लोक अदालत के माध्यम से विवादों का शीघ्र निपटारा एवं सौहार्दपूर्ण समाधान होता है और भुगतान की गई अदालती फीस की वापसी सुनिश्चित होती है। लोक अदालत में पारित अर्वाइव विवाद के सभी पक्षों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होता है और इस अर्वाइव के खिलाफ किसी भी अदालत में कोई अपील नहीं होती।

(डीएसएलएसए लोक अदालत के लिए कॉल नहीं करता है। लोक अदालत/डीएसएलएसए कर्मचारी के नाम से धोखाधड़ी कॉल से सावधान रहे)

किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए कृपया यहां संपर्क करें:-

दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण

केन्द्रीय कार्यालय, तीसरी मंजिल राउज एवेन्यू जिला न्यायालय परिसर, नई दिल्ली-110002

फोन: 23232124 | ईमेल: lokadalatwing-dslsa@nic.in | वेबसाइट: www.dslsa.org

टोल फ्री हेल्पलाइन नं. 1516 (24x7)